Grievance Redressal Committee की बैठक
दिनांकित 05.06.2024 का कार्यवृत्त

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से प्राप्त पत्र संख्या 7978/2023/एडमिन. 'जी–1': दिनांकित 06.06.2023 के साथ संलग्न आदेश सं0 38/आरजी/2023:दिनांकित 03.05.2023 एवं DLP (C) No. 5440 of 2020 में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुपालन में आज दिनांक 05.06.2024 को पूर्वान्ह 10:15 बजे Grievance Redressal Committee की बैठक अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में अधोहस्ताक्षरी के विश्राम कक्ष में आहूत की गयी जिसमें समस्त सदस्यगण क्रमशः श्री इश्तियाक अली, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या –1, मो0 तौसीफ रजा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बदायूँ, जिला शासकीय अधिवक्ता (दीवानी), जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं जिला बार एसोसिएशन, बदायूँ के अध्यक्ष एवं महासचिव उपस्थित हुए तथा अध्यक्ष, जिला सिविल बार एसोसिएशन, बदायूँ उक्त बैठक में सूचना दिये जाने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं हुए ।

उक्त बैठक में उपस्थित सदस्यगण द्वारा अवगत कराया गया कि समस्त कार्य सुचारू रूप से चल रहा है एवं उनके द्वारा किसी भी समस्या से अवगत नहीं कराया गया ।

इसी क्रम में उक्त बैठक में उपस्थित सदस्यगण से माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त पत्र सं0 5394/एडमिन. जी–द्वितीयः इलाहाबादः दिनांकित 23.04.2024 के साथ संलग्न Action Plan for Arrears Reduction in District Judiciary (APAaR-DJ) में दिये गये बिन्दु सं0 3.2.1(b) के सम्बन्ध में वार्ता उपरान्त यह निर्धारित किया गया कि –

1– एक्शन प्लान से सम्बन्धित पत्रावली में प्रभावी आदेश पारित किया जावेगा ।
2– एक्शन प्लान से सम्बन्धित पत्रावली में प्रत्येक परिस्थिति में गवाह को परीक्षित कराना होगा एवं जिरह करनी होगी ।
3– एक्शन प्लान से सम्बन्धित पत्रावली में मौखिक बहस करनी होगी तथा मौखिक बहस न करने की स्थिति में लिखित बहस देनी होगी ।
4– प्रत्येक न्यायालय में समय प्रातः 10:30 से 12:00 बजे तक एक्शन प्लान से सम्बन्धित पत्रावलियों को प्राथमिकता दी जावेगी ।
5– एक्शन प्लान से सम्बन्धित पत्रावली में स्थगन प्रार्थना पत्र केवल आपवादिक परिस्थितियों में ही स्वीकार किया जावेगा ।
6– एक्शन प्लान से सम्बन्धित पत्रावली में यदि किसी पक्ष को अपना वकील बदलना हो अथवा किसी अन्य वकील को नियुक्त करना हो तो वह नियत तिथि से पूर्व नियुक्त करेगा ।

दिनांकः 05.06.2024

5.6.2024
(पंकज कुमार अग्रवाल)
जनपद न्यायाधीश,
बदायूँ

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः–

1– प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बदायूँ
2– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बदायूँ
3– जिला शासकीय अधिवक्ता (दीवानी)
4– जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी)
5– अध्यक्ष, जिला सिविल बार एसोसिएशन, बदायूँ
6– अध्यक्ष, जिला बार एसोसिएशन, बदायूँ
7- Computer

दिनांकः 05.06.2024

5.6.2024
(पंकज कुमार अग्रवाल)
जनपद न्यायाधीश,
बदायूँ